

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
हकीम सैयद ज़ियाउल हसन, शासकीय (स्वशासी) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय
(कोलार-नेहरू नगर बायपास रोड, मेनित के पीछे, भोपाल 462003)

Web: www.gumcbhopal.in

E.mail: gumcbhopal@gmail.com

दूरभाष क्रं. -0755-2970354

(सब्जी सामग्री की आपूर्ति हेतु द्वितीय ई-निविदा के नियम एवं शर्तें)

हकीम सैयद ज़ियाउल हसन शासकीय (स्वशासी) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री की आपूर्ति हेतु (वर्ष 2026-27) ई-निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जो कि <https://mptenders.gov.in> पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध है। निविदा प्रस्तुत करने के नियम निर्देश एवं शर्तें महाविद्यालय की वेबसाइट <https://gumcbhopal.in> पर भी प्रदर्शित हैं।

निविदाएं प्राप्त एवं प्रस्तुत करने की तिथियां निम्नानुसार हैं :-

निविदा प्रपत्र ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि:- 23.02.2026 सायं 05.00 बजे

निविदा ऑनलाईन खोले जाने की तिथि:- 25.02.2026 दोपहर 12.00 बजे


1. ई-निविदा बिड दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं हैं।
2. इच्छुक ई-निविदाकर्ता ऑनलाइन mptenders.gov.in से ई-निविदा राशि रु. 1000/- का भुगतान कर सकते हैं, जिसको mptenders.gov.in पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक-पृथक ऑनलाईन सबमिट की जाना है।
3. ई.एम.डी.राशि रूपये 5000.00 शब्दों में (सात हजार मात्र) जिसे ई-पेमेन्ट के माध्यम से mptenders.gov.in पर tender सबमिट करते समय पेमेन्ट करना होगा। ई.एम.डी. राशि सफल निविदाकार को अनुबंध होने पर नियमानुसार वापस की जावेगी, शेष निविदाकारों की ई.एम.डी.राशि mptenders.gov.in के माध्यम से लौटा दी जावेगी। सफल निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि (अनुबंध राशि के 3 प्रतिशत राशि रूपये 7500.00 दस हजार तक) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से महाविद्यालय में जमा करना होगी। निष्पादन प्रतिपूर्ति राशि बिना ब्याज के अनुबंध समाप्त होने पर वापस लौटा दी जावेगी। म.प्र.के लघु उद्यम तथा स्टार्टअप को ई.एम.डी. राशि के भुगतान में छूट रहेगी। ई.एम.डी.राशि छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज ई-निविदा में अपलोड करना अनिवार्य है।
4. अनुबंधित फर्म को उचित गुणवत्ता की भोजन सामग्री की आपूर्ति अनिवार्य है। इस हेतु कोई भाड़ा/हम्माली पृथक से देय नहीं होगी।
5. वित्तीय निविदा प्रपत्र-02 अनुसार दरें <https://mptenders.gov.in> पर ई-निविदा की एक्सल शीट BOQ में ही अंकित करना है।

- भोजन सामग्री की गुणवत्ता संबंधी प्रमाणीकरण मान्य होने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी, जी.एस.टी.नियमानुसार देय होगी, सम्बंधित संस्था द्वारा प्रस्तुत देयक Tax Invoice पर ही मान्य किए जावेंगे।
7. भारत सरकार फूड्स सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड अथारिटी ऑफ इंडिया का लायसेंस एफ.एस. एस. एक्ट 2006 के अनुसार होना अनिवार्य है, जिसकी छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य है।
 8. निविदा खोलते समय भोजन सामग्री की गुणवत्ता हेतु सामग्री का सैम्पल जमा कराना होगा।
 9. भोजन सामग्री आपूर्ति को व्यवहारिक एवं आसान किये जाने हेतु ई वित्तीय निविदा का प्रपत्र -02 अनुसार सामग्री की दरों में सकल (Aggregate) दर अनुसार एल-1 को निर्धारित किया जा सकेगा।
 10. किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर तथा नियम शर्तों का पालन न करने पर अथवा सन्तोषजनक सेवा न पाये जाने पर अनुबंध तत्काल निरस्त कर दिये जावेंगे एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। ऐसी स्थिति में जमा निष्पादन प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा संबंधित फर्म पर ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही की जावेगी, एवं भोजन सामग्री की आपूर्ति हेतु एल-02 फर्म से अनुबंध किया जायेगा।
 11. सफल निविदाकार से किया गया अनुबंध 01 वर्ष की अवधि तक के लिये मान्य होगा।
 12. ई-निविदा स्वीकार होने पर सफल निविदाकार को एक अनुबंध राशि रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिसका व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।
 13. सफल ई-निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में विगत वित्तीय वर्ष के आंकलन के आधार पर 03 प्रतिशत तक की राशि जमा करनी होगी।
 14. निविदाकर्ता फर्म भोपाल नगर निगम सीमा में स्थापित होना चाहिये जिसका गुमास्ता तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
 15. निविदाकर्ता के पास स्वयं अथवा फर्म का पैन नंबर होना चाहिये जिसकी प्रतिलिपि तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
 16. निविदाकर्ता के पास जी.एस.टी. नम्बर होना आवश्यक है जिसकी प्रतिलिपि तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
 17. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2024-25 का टर्न ओवर न्यूनतम 05 लाख होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2024-25 की आयकर विवरणी की प्रति, बैलेंस शीट, लाभ-हानि पत्रक/चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित एवं विगत 03 वर्ष की आयकर विवरणी तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।
 18. निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश का कुछ भाग या पूर्ण भाग अन्य किसी ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं सौंपेगा यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को कार्य सौंपा



जाता है, या कार्य कराता पाया जाता है तो उसका अनुबंध समाप्त कर फर्म को Black listed किया जायेगा।

19. आवेदनकर्ता फर्म प्रदेश के किसी भी शासकीय संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। यदि जानकारी प्राप्त होती है, तो निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात कर संबंधित फर्म की निविदा/अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा। ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा/शपथ पत्र राशि रू. 100.00 एक सौ मात्र के नॉन ज्युडीशियल स्टॉप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
20. ई-निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि (अधिकृत पत्र प्रस्तुत करने पर) शामिल हो सकते हैं।
21. ई-निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य को होगा, जो सभी को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, इसका पालन करना होगा।
23. ई-तकनीकी निविदा में जो दस्तावेज अपलोड किये हैं, उन दस्तावेजों की सत्यापित प्रति का 01 सेट ई-तकनीकी निविदा खोलते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
24. अन्य कोई शर्त आवश्यकता पड़ने पर मान्य करना होगी।
25. ई-तकनीकी निविदा का विश्लेषण करते समय केवल वांछित दस्तावेजों (चैक लिस्ट के अनुसार) को ही विचार क्षेत्र में लिया जावेगा।
26. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।




प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
हकीम सैयद ज़ियाउल हसन
शासकीय(स्वशासी) यूनानी चिकित्सा
महाविद्यालय, भोपाल।

श्रीमती सैयद ज़ियाउल हसन, शासकीय (स्वशासी) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल
(चिकित्सालय भर्ती मरीजों की भोजन सामग्री के स्थानीय क्रय हेतु निविदा का प्रारूप)
(ई-वित्तीय निविदा का प्रपत्र-02)

क्रं.	नाम भोजन सामग्री	मात्रा	दर
1	लोकी	प्रति कि.ग्राम	
2	कद्दू	प्रति कि.ग्राम	
3	गिलकी	प्रति कि.ग्राम	
4	आलू	प्रति कि.ग्राम	
5	प्याज	प्रति कि.ग्राम	
6	टमाटर	प्रति कि.ग्राम	
7	हरी मिर्च	प्रति कि.ग्राम	
8	पत्ता गोभी	प्रति कि.ग्राम	
9	फूल गोभी	प्रति कि.ग्राम	
10	दूध	प्रति कि.ग्राम	
	सकल (Aggregate) मूल्य	प्रति कि.ग्राम	

नोट-उक्त प्रपत्र प्रारूप मात्र है इस प्रपत्र के अनुसार दर राशि को ई-वित्तीय निविदा ऑनलाइन www.mptender.gov.in पर तकनीकी निविदा की एक्सल शीट BOQ में ही दर्ज करना है।



// शपथ -पत्र //

मैंपिता श्री.....

.....निवासी

.....उम्र वर्ष शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि ह.सै.जि.ह.शा.यूनानी महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय में भर्ती मरीजों हेतु सब्जी के स्थानीय क्रय हेतु निविदा में दी गई समस्त शर्तों का पूर्ण होशो-हवास में अध्ययन कर लिया है जिसकी समस्त शर्तें मुझे मान्य हैं। एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज वैधानिक हैं एवं किसी भी शासकीय संस्था द्वारा मेरी फर्म को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। निविदा की शर्तों का पालन नहीं करने एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में यदि मेरी निविदा/अनुबंध निरस्त की जाती है, तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

गवाह/साक्षी के हस्ताक्षर

गवाह/साक्षी का नाम

मोबाइल नं०

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम

मोबाइल नं०

नोट :- उक्त शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नॉन ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

// चैक-लिस्ट //

उपरोक्त वर्णित नियम शर्तों अनुसार निम्न दस्तावेजों को तकनीकी निविदा प्रपत्र 01 अनुसार सबमिट करते समय आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना है :-

क	दस्तावेज का नाम	संलग्न हों/नहीं
01	जीवित गुमास्ता संबंधित कार्य का होना आवश्यक है जिसकी छाया प्रति	
02	पैन कार्ड की छाया प्रति	
03	भारत सरकार फूड्स सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड अथारिटी ऑफ इंडिया का लायसेंस एफ.एस.एस. एक्ट 2006 की छायाप्रति।	
04	जी.एस.टी.पंजीयन पत्र की प्रति (जी.एस.टी.जमा सम्बंधी विगत 02 वित्तीय वर्षों का ऑनलाईन पत्रक तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है)	
05	निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2024-25 का टर्न ओवर न्यूनतम 05 लाख होना आवश्यक है जिसके साक्ष्य के रूप में विगत तीन वित्तीय वर्षों की आयकर विवरणी, लाभ-हानि पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित	
06	ई.एम.डी.राशि की ई-प्रिंटेड प्रति (प्रधानाचार्य हकीम सैयद ज़ियाउल हसन शासकीय/स्वशासी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के नाम से) अथवा एम.एस.एम.ई.पंजीयन प्रमाण पत्र	
07	निविदाकार फर्म किसी शासकीय/अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए इस हेतु शपथ पत्र की प्रति	
08	प्रपत्र-03 अनुसार शपथ पत्र की प्रति	

नोट :-चैक लिस्ट के सरल क्र-01 से 08 तक के अभिलेखों के आधार पर ही तकनीकी निविदा का विश्लेषण किया जावेगा इन्ही अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा मान्य/अमान्य की जायेगी इनके अतिरिक्त किन्ही अन्य अभिलेखों को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जावेगा ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम

मोबाइल नं०

